माननीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी साहब जी तिल्दा

Date
13/08/2025

प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :- दिनांक 27/08/2025 को "राजभवन" रायपुर के समक्ष - धरना प्रदर्शन एवं घेराव की सूचना हेतु

महानुभाव जी

हमारे राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ, नरेंद्र मोदी विचार मंच के रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीमति आशा देवी साहू का ग्राम बेमता, थाना तिल्दा नेवरा मे ~~वर्षों से~~ माननीय ~~व्यवहार~~ न्यायालय सर्किट कोर्ट रायपुर के आदेश पर माननीय न्यायालय तहसीलदार तिल्दा मे लगभग 11½ एकड़ कृषि जमीन किसानी है, जिसका किसान किताब क्र० 3847936 में खसरा नं० 44/1, 85, 94/3, 94/4, 99/6, 134/1, 135/2, 135/4, 136/4, 136/3, 136/5, 146/3, 426/4, 434/10, 435/2, 443/1, 484/5, कुल खसरा नं० 16, रकबा 4.630 हे० भूमि को आशा देवी को खेती, किसानी करने से रोकते एवं मारपीट करते है, जिसका अपराध थाना नेवरा तिल्दा मे दर्ज है, 28/05/2025 को आरोपी गणों के बलपूर्वक दादागिरी हुये खेत का जोताई करके दिया था।

पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर 16/06/2025 पुनः खेत के जोताई कर धान बो दिये, जिसका भी लिखित आवेदन थाना नेवरा में 16/06/2025 को दे दिया है।

लेकिन जाँच अधिकारी के द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही करना छोड़ कर आरोपीयों एवं आवेदिका एवं उनके पति असवंत दास साहू उर्फ महंत चंद्र शेखर दास एवं गोविंद राम साहू के खिलाफ माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा नेवरा के न्यायालय में ईस्तगासा क्र 02/2025, धारा 164 BNSS के तहत पेश कर मामला ठंडा बस्ता में डालने का प्रयास किया गया है।

इसलिये ये आवेदन आज आपको देना पड़ रहा है, 28/05/2025 को एवं 16/06/2025 को अपराध किया है, जिसके लिये उन लोगों का गिरफ्तारी 26/08/2025 तक नहीं होता तो 27/08/2025 को "राज भवन" रायपुर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर घेराव किया जायेगा। अतः समय पर उचित कार्यवाही हेतु निवेदन पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है।

निवेदन कर्ता

असवंत दास साहू उर्फ महंत चंद्र शेखर दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम. नरेन्द्र मोदी विचार मंच छ.ग. 8982420033

मामले की गंभीरता को देखते हुये आरोपियों पर ठोस एवं कड़ी कार्यवाही किये जाने बाबत्।

प्रति

श्रीमान थाना प्रभारी
आरक्षी केन्द्र तिल्दा नेवरा,
जिला – रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मेरी कृषि भूमि को दादागिरी करते हुए बलपूर्वक जोताई करने वाले आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम बेमता, तहसील व थाना तिल्दा नेवरा स्थित ऋण पुस्तिका कमांक 3847936 में दर्ज मेरी कृषि भूमि कुल खसरा नंबर 16 कुल रकबा 4.6300 हे. के भूमि को 1) कलीराम साहू पिता धनऊराम साहू उम्र 62 वर्ष, 2) आत्माराम साहू पिता कलीराम साहू उम्र 40 वर्ष, 3) श्रीमती राजेश्वरी साहू पति आत्माराम साहू उम्र 39 वर्ष, 4) बिसराम साहू पिता कलीराम साहू उम्र 38 वर्ष, 5) सनत कुमार साहू पिता कलीराम साहू उम्र 36 वर्ष, 6) श्रीमती पूर्णिमा साहू पति सनत कुमार साहू उम्र 34 वर्ष, 7) मुकेश साहू पिता आत्माराम साहू उम्र 22 वर्ष, 8) रवि साहू पिता आत्माराम साहू उम्र 20 वर्ष, के द्वारा दादागिरी करते हुये बलपूर्वक तानाशाही रवैया अपनाते हुये मेरे स्वयं की कृषि भूमि का जोताई करवा दिये है।

मेरे पति श्री असवंत दास साहू उर्फ महंत चंद्रशेखरदास को ग्राम सरोरा के नीलकंठ बघेल उम्र 70 वर्ष तथा नंद कुमार साहू उम्र 52 वर्ष ने मेरे पति को मोबाईल के द्वारा सूचना दिये तो मैं अपने पति के साथ स्वयं खेत जाकर देखी हूँ उसके बाद थाना तिल्दा नेवरा में लिखित रिपोर्ट एवं सूचना दे रही हूँ।

उपरोक्त व्यक्तियों के ऊपर में थाना तिल्दा नेवरा में इस्तगामा कमांक 224/2025 में धारा 126, 135(3) बी.एन.एस.एस. 2) अपराध कमांक 486/2019 धारा 420, 3) अपराध कमांक 268/2024, 4) अपराध कमांक 442/2024, 5) अपराध कमांक 606/2024 दर्ज है जो कि सिविल कोर्ट तिल्दा एवं सेशन कोर्ट रायपुर में प्रकरण चल रहा है।

28/05/25

28/05/2025

आरोपीगणों के खिलाफ थाना तिल्दा नेवरा में 5 – 5 अपराध पंजीबद्व होने के बावजूद इस तरह तानाशाही कर बलपूर्वक मेरी कृषि भूमि जमीन का जोताई करने वालो के ऊपर कार्यवाही करने की मांग करती हूॅं ताकि भविष्य में किसी प्रकार से जान माल का खतरा न हो सके, एवं मैं अपने परिवार सहित अपनी जमीन में जाकर धान बुआई, कटाई, रोपा बियासी, शांति से कर सकूं।

अतः आपसे विनम्र आग्रह सहित हांथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूॅं कि उक्त आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही करेंगे।

आवेदिका

दिनांक 28/05/2025

श्रीमती आशा देवी साहू
पति श्री असवंत दास साहू उर्फ महंत चंद्रशेखरदास
निवासी वार्ड क. 04 डॉ. नायक हास्पिटल के सामने
तिल्दा, थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.)
मोबाईल नंबर – 8982420033, 6260422942

संलग्न

किसान किताब की फोटोकापी।

निवेदन टीप –

1) ए.एस.आई श्री शंकर लाल वर्मा 2) ए.एस.आई श्री अरूण कुमार भोई साहब से जॉच नही कराया जावे।

प्रस्तावना

P पुस्तिका क्रमांक 3847936

कृषक का नाम आशादेवी उर्फ उमादेवी

पिता/पति का नाम कलीराम

ग्राम बेमता पटवारी हल्का नं. 01

राजस्व निरीक्षक मंडल तरपोंगी विकासखण्ड तिल्दानेवरा

तहसील तिल्दा नेवरा जिला रायपुर

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान का नमूना

आशादेवी साहू उर्फ उमादेवी साहू

P-3847936

2

भू-अभिलेख

कृषक एवं शामिल शरीक खातेदारों के नाम
1 (1) आशादेवी उर्फ उमादेवी
2 पिता कलीराम, सा० बेमता, भूमिस्वामी
3
4
5
6

खाता नम्बर 630/2020-2

भूमि पर हक का प्रकार (भू-स्वामी/मौरूसी शासकीय पट्टेदार)

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (3)	लगान (4)	अववाव (5)	रकबा काश्त में (6)	रकबा पड़त (7)	सिंचित रकबा (8)	सिंचाई का स्रोत (कुंआ, नहर, तालाब, नदी) (9)	यदि खसरा नं. पट्टे पर है, तो मौरूसी/पट्टेदार का नाम (10)	अन्य विवरण (11)
1.	44/1	0.729	10.16	5.00	0.729		0.729	नलकूप		
2.	85	0.393			0.393		0.393	-"-		
3.	94/3	0.287			0.287		0.287	-"-		
4.	94/4	0.101			0.101		0.101	-"-		
5.	99/6	0.267			0.267		0.267	-"-		
6.	134/1	0.085			0.085		0.085	-"-		
7.	135/2	0.287			0.287		0.287	-"-		
8.	135/4	0.304			0.304		0.304	-"-		
9.	136/3	0.162			0.162		0.162	-"-		
10.	136/4	0.223			0.223		0.223	-"-		

P.T.O.

अभिलेख

खाता नम्बर

कृषक एवं शामिल शरीक खातेदारों के नाम 1. .... 2. .... 3. ....

					रकबा		सिंचित	सिंचाई का स्रोत
11.	146/3	0.085			0.085		0.085	नलकूप
12.	426/4	0.692			0.692		0.692	नहर
13	434/10	0.373			0.373		0.373	—"—
14	435/2	0.332			0.332		0.332	—"—
15.	443/1	0.219			0.219		0.219	—"—
16	484/5	0.091			0.091		0.091	—"—
योग	16	4.630	10.16	5.00	4.630	–	4.630	

15/01/2024

15/1/2024

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी
थाना तिल्दा–नेवरा
जिला–रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 16/06/2025

विषय : दिनांक 28.05.2025 को दिए आवेदन पर 20 दिन बित जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से आरोपियों का मनोबल बढ़ रहा है। जिससे मेरी व मेरे परिवार के सभी को मार डालने का संदेह है। जिसकी कड़ी कार्यवाही करने बाबत्।

महानुभाव जी

दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पर आपके थाना तिल्दा नेवरा में 20 दिन बित जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ गया है। इसलिए खेत में बलपूर्वक जुताई किया गया जिसकी शिकायत 28.05.2025 को की गई थी, अब आपके द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर अब मेरी खुद की कृषि भूमि पर बलपूर्वक गुंडगर्दी व दादागिरी करते हुए धान बो दिए हैं।

माननीय महोदय जी आरोपियों के उपर आपके थाना तिल्दा नेवरा में पूर्व में 5 अपराध गंभीर धारा के तहत जुर्म दर्ज है। उसके बाद भी एक महिला की कृषि भूमि को बलपूर्वक गुंडागर्दी करते हुए जोताई का काम किया गया है जिसकी शिकायत आपको 28.05.2025 को की हूँ।

अब खेत को पुनः जोताई कर धान बो दिया गया है। 28.05.2025 के आवेदन पर आपके द्वारा कार्यवाही ना होने से आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अतः आरोपियों के उपर कड़ी से कड़ी धारा के तहत कार्यवाही कर आरोपियों के उपर जिला बदर जैसी कार्यवाही की आवश्यकता है। आरोपियों के उपर पूर्व में आपके थाना तिल्दा नेवरा में दर्ज अपराध निम्न प्रकार से हैं।

1. अपराध क्रमांक 224/2025में धारा 125, 135 (3) बी.एस.एस.एस.
2. अपराध क्रमांक 486/2019 में धारा 420 (34)
3. अपराध क्रमांक 268/2024
4. अपराध क्रमांक 442/2024
5. अपराध क्रमांक 606/2023 दर्ज है

कृपया आपसे एक पिड़ित महिला किसान आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं। मामले की गंभीरता को देखते हुए निम्न आरोपियों

1. कलीराम साहू पिता धनहुराम साहू उम्र लगभग 62 वर्ष
2. आत्माराम साहू पिता कलीराम साहू उम्र लगभग 40 वर्ष
3. श्रीमती ~~राजेन्द्री साहू पिता कलीराम साहू~~ उम्र लगभग 38 वर्ष (आत्माराम / पति – आत्माराम साहू)
4. ~~बिसरण साहू पिता कलीराम साहू~~ उम्र लगभग 39 वर्ष (पिता कलीराम)
5. सनत कुमार साहू पिता कलीराम साहू उम्र लगभग 36 वर्ष
6. पूर्णिमा साहू पति सनत साहू उम्र लगभग 34 वर्ष
7. मुकेश साहू पिता आत्माराम साहू उम्र लगभग 22 वर्ष
8. रवि साहू पिता आत्माराम साहू उम्र लगभग 20 वर्ष

श्रीमति राजेश्वरी साहू पति आत्माराम साहू

Pooi
राजेश्वरी
बिसराम

कार्यालय थाना तिल्दा 16/6/25

शेष पृष्ठ क्रमांक 2 पर

के उपर तत्काल सख्त कड़ी से कड़ी धारा से दंडित करते हुए कार्यवाही की महान कृपा कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करेगें

दिनांक
16/06/2025

प्रार्थी

श्रीमती आशा देवी उर्फ उमा देवी साहू
पति असवंत दास साहू उर्फ मंहत चंद्रशेखर दास
वार्ड क्रमांक 04, डॉ. नायक तहसीलदार के सामने
तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) 493114
मोबा नं. 6260422942

सलग्न :
मेरे द्वारा दिनांक 28.05.2025 को दिए गए आवेदन की कापी आपके अवलोकन हेतु सलग्न कर रही हूं ।
प्रतिलिपी :

1. मान. श्री नायब तहसीलदार तिल्दा को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
2. मान. श्री तहसीलदार तिल्दा–नेवरा को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
3. मान. श्री अनुविभागीय अधिकारी, तिल्दा नेवरा को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
4. मान. श्री जिलाधीश महोदय रायपुर जिला को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
5. मान. श्री पुलिस अधीक्षक महोदय जी, रायपुर को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
6. मान. श्री पुलिस महानिरिक्षक, रायपुर को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
7. मान. श्री पुलिस महानिदेशक महोदय जी को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
8. मान. श्री विष्णु साय जी मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
9. मान. श्री विजय शर्मा जी गृहमंत्री, छ.ग. शासन को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
10. मान. श्री नरेन्द्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को उचित कार्यवाही हेतुसादर सूचनार्थ ।
11. मान. श्री अमित शाह जी गृहमंत्री, भारत सरकार को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
12. मान. श्री टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री, छ.ग. शासन को उचित कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।